भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AB 585740

विकास एवं समाज कल्याण समिति

जनरल स्टाम्प पेपर

जिला इलाहाबाद पत्रावली संख्या 2467

रजि0 प्रमाणपत्र प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संलग्न है

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
इलाहाबाद

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबन्धक समितियाँ
उत्तर प्रदेश-इलाहाबाद

संशोधित स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : विकास एवं समाज उत्थान समिति

2. संस्था का पता : ग्राम व पो0–सोनाई, तह0–करछना, इलाहाबाद

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4. संस्था के उद्‌देश्य :

1. बालक एवं बालिकाओं का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, अध्यात्मिक, शैक्षिक व बौद्धिक विकास करना।
2. छात्रों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्ष तक की व्यवस्था करना तथा उच्च शिक्षाप्रदान कर राष्ट्र का सुयोगय नागरिक बनाना।
3. छात्र–छात्राओं को साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, कृषि सम्बन्धी तथा रचनात्मक एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना।
4. ज्ञान वर्धन हितों व पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना।
5. समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
6. हरिजन एवं पिछड़ी जाति के बालकों को सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देना एवं सुविधाएं दिलाने का प्रयास करना।
7. निर्धन एवं असहाय बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना।
8. महिला विकास हेतु बालिकाओं को सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई एवं हस्त कला तथा गृह कला के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
9. उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा अन्य श्रोतों से अनुदान एवं सहायता प्राप्त करना, संस्था के विकास में लगाना।
10. निरक्षरता को दूर करने हेतु प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना।
11. छात्रों के मानसिक व शारीरिक विकास हेतु व्यायामशाला, छात्रावास आदि की व्यवस्था करना।
12. ग्रामोद्योगिक विकास करना एवं उनके प्रशिक्षण केन्द्र खोलना व संचालन करना तथा प्राप्त आय का उपयोग चैरिटेबिल कार्यों में करना।
13. सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाने हेतु विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक साधनों का प्रबन्ध करना, शिक्षण संस्थाए, बाल विहार, मातृत्व कल्याण केन्द्र, बाल मंगल केन्द्र, पुस्तकालय, शिशु केन्द्र, हरिजन तथा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से पीड़ित प्रतिभाशाली छात्रों को खोलकर छात्रावासों का निर्माण कराकर छात्रतृत्ति की सुविधा प्रदान करना, अपंगों, अपाहिजों एवं विकलांगों के लिए विशेष कार्यक्रमों का संचालन कर नियमित रूप से चलाना।
14. दैवी आपदाओं एवं दैनिक विपदाओं के समय निःस्वार्थ सेवा करना।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज़ एवं चिट्स
इलाहाबाद

15. समिति अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु कार्य संचालिन के लिए उ0प्र0 वित्त निगम का, सेन्ट्रल बैंक वेलफेयर बोर्ड समितियों निगमों, उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास निगम, उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, कमीसन, पंचायतों, व्यक्तियों एवं अन्य विभागों से रूपये–पैसे, भूमि तथा सम्पत्ति का दान प्राप्त करना व ऋण, अनुदान प्राप्त करना और उसे संस्था के उद्देश्यों में व्यय करके कारीगरों, बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रयत्न करना।

16. टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, पशुपालन, चरित्र निर्माण सहित ग्रामोद्योग को विकसित करना एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोलना।

17. वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न परियोजनाओं का संचालन एवं प्रदर्शनी लगाना, तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन करना तथा अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करना तथा समय–समय पर वस्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं का संचालन एवं कारीगरों की उन्नति हेतु कार्य/प्रचार–प्रसार करना।

18. उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत जागरूकता कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य का प्रचार–प्रसार करना एवं उनके द्वारा चलायी जा रही योजनाओं, परियोजनाओं को क्रियान्वित करना।

19. शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर से लेकर जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कॉलेज, महाविद्यालय आदि की स्थापना, प्रबंधन एवं संचालन करना तथा शिक्षा के चौमुखी विकास हेतु विद्यालय न जाने वाले बालक–बालिकाओं, महिलाओं एवं पुरूषों हेतु केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित समस्त प्रकार के साक्षरता कार्यक्रमों का प्रबन्धन एवं संचालन करना।

20. समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार व ग्रामोद्योग, प्रदर्शनी, प्रशिक्षण शिविर, चिकित्सा शिविर, व्यायामशाला, खेलकूद प्रतियोगिता इतयादि मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध कराना एवं अनाथालयों, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, बाल आश्रम आदि की स्थापना करना।

21. बच्चों व शिशुओं के सर्वांगीण विकास के लिए परिवार कल्याण, परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराना तथा लोगों को रक्त दान एवं नेत्र दान, टीके, पोलियो तथा वैक्सीन के लिए प्रेरित करना महिलाओं/पुरूषों को कैंसर, एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए जागरूक कराकर निःशुल्क अस्पताल खोलने एवं प्रचार–प्रसार करने की व्यवस्था करना।

22. केन्द्रीय राज्य एवं समाज कल्याण विभाग, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डी0आर0डी0ए0 जिला उद्योग केन्द्र, यूनिसेफ, ड्वाकरा, सिफ्सा, सेफ इण्डिया, हेल्पेज इण्डिया, रेडक्रास, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उ0प्र0 एवं केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, विभिन्न मंत्रालयों, श्रम मंत्रालय, नारी कला केन्द्र, खादी ग्रामोद्योग

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

बोर्ड/खादी ग्रामोद्योग कमीशन तथा राष्ट्रीय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित एवं बाल विकास कार्यक्रमो तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं का प्रचार–प्रसार करना।

23. पर्यावरण के प्रदूषण तथा प्रकृति के विनाश को रोकने हेतु जन मानस में भूमि, जल, पेड़–पौधे तथा जीव–जन्तुओं के प्रति एक ऐसी मूल्य परक तथा वैज्ञानिक भावना विकसित करना जो पर्यावरण की शुद्धि तथा बचाव में सहायक हो।

24. कृषि एवं बागवानी विकास, विलुप्त प्रजातियों की वनस्पतियों आदि के पुर्नजीवन तथा वृक्षारोपण आदि हेतु समस्त कार्ययोजनाओं का संचालन, व्यवस्थापन, प्रचार–प्रसार, जागरूकता प्रसार तथा अन्य वो सभी कार्य करना जो पर्यावरण संरक्षण तथा उपरोक्त के विकास हेतु सहायक हों।

25. मन्दबुद्धि एवं विकलांग, अंधे, गूंगे, बहरे आदि लोगों के लिये विद्यालय चलाना, उनके निःशुल्क पुर्नवास तथा समग्र विकास हेतु सभी प्रकार के रचनात्मक कार्य करना।

26. कृषकों को आधुनिक तथा वैज्ञानिक कृषि हेतु तदनुसार निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करते हुए राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का उनके निर्देशानुसार संचालन एवं प्रबन्धन करना।

27. स्वास्थ्य एवं मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं संरक्षण, निःशुल्क विधिक सहायता, बालश्रम उन्मूलन तथा बालश्रम विद्यालय, यातायात जागरूकता, कृषि एवं ग्रामीण विकास, जागरूकता तथा प्रचार–प्रसार, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, एड्स जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार, जल प्रबंधन परियोजना कार्यान्वयन, मद्य निषेध जागरूकता एवं निःशुल्क चिकित्सकीय व्यवस्था आदि संबंधी समस्त कार्ययोजनाओं का यथानुसार आयोजन एवं संचालन करना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श मार्गदर्शन हेतु निःशुल्क शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

28. महिलाओं पुरूषों हेतु स्वयं सहायता समूहों का गठन करना, निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना तथा उनके जागरूकता विकास, कौशल विकास तथा साक्षरता हेतु समस्त प्रकार की कार्य योजनाओं का आयोजन एवं संचालन करना।

29. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यकों तथा मलिन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के शैक्षिक, आर्थिक, कौशल, सामाजिक तथा बौद्धिक विकास उत्थान एवं जागरूकता हेतु समस्त प्रकार की कार्ययोजनाओं का प्रबंधन संचालन एवं आयोजन करना तथा यथा आवश्यकतानुसार केन्द्रों की स्थापना करना।

30. मधुमक्खी पालन, भेड़–बकरी पालन, मुर्गी पालन, कृषि एवं बागवानी विकास, जागरूकता तथा प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण, प्रचार–प्रसार तथा जागरूकता विकास, खाद्य प्रसंस्करण एवं फल संरक्षण, पोषणीय पौधों के रोपण हेतु जागरूकता, प्रचार–प्रसार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि संबंधी योजनाओं का संचालन, कार्यान्वयन करना तथा यथा आवश्यकतानुसार केन्द्रों की स्थापना करना।

31. किशोर, किशोरियों तथा युवाओं के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक उत्थान एवं विकास तथा राष्ट्रीय एकता एकीकरण, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक सहभागिता

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

संबंधी जागरूकता तथा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में सहभागिता सम्बन्धी समस्त आयोजनों एवं गतिविधियों का संचालन, प्रबंधन तथा कार्यान्वियन करना तथा आवश्यकतानुसार निःशुल्क परामर्श एवं मागदर्शन केन्द्रों की स्थापना कर उन्हें तद्नुसार सेवायें उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण खेल क्लब संस्कृति के सुदृढ़ीकरण हेतु खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना।

32. संगीत तथा अन्य सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना तथा बच्चों को पुरस्कृत कर उनका उत्साह वर्धन करना तथा संगीत कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा प्रतिभाशाली कलाकारों को संस्था के माध्यम से उचित मंच प्रदान करते हुए प्रोत्साहित करना तथा संगीत की शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु केन्द्रों तथा विद्यालयों की स्थापना, प्रबंधन एवं संचालन करना।

33. वृद्ध, विकलांग, मानसिक रूप से कमजोर, विधवा, समाजशोषित, कुष्ठ रोगियों, अनाथ तथा मुक्त हुए बाल श्रमिक, देह व्यापार से मुक्त बालिकाएं एवं युवतियां तथा उनके बच्चों आदि के उत्थान समग्र विकास एवं पुर्नस्थापना हेतु समस्त प्रकार की कार्ययोजनाओं का निःशुल्क कार्यान्वयन, आयोजन, संचालन एवं प्रबंधन करना तथा उपरोक्त वर्गों के स्वास्थ्य, विकास एवं उत्थान हेतु तद्नुसार निःशुल्क आवास, भोजन, पुर्नवास तथा चिकित्सा आदि की व्यवस्था करना।

34. मानव समाज के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक करते हुए उनके विधिक अनुतोष हेतु शिविरों, परामर्श एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

35. गैर पारंपरिक उर्जा स्रोतों के विकास, प्रचार–प्रसार एवं प्रौद्योगिकीय हस्तांतरण से सम्बन्धित समस्त प्रकार की कार्ययोजनाओं का संचालन एवं प्रबंधन करना।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

R.K. Sharma

विकास एवं रागाज उत्थान समिति
सोनाई करछना, इलाहाबाद
के प्रबन्धकारिणी समिति की
सूची वर्ष 2018–19

क्र0 स0	नाम, पिता / पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती सरिता सिंह पत्नी डा0 कुसुमाकर सिह	ग्रा0 म्योहर, सरॉय आकिल, कौशाम्बी	अध्यक्ष	समाज सेवा
2.	श्री अमर सिंह पुत्र श्री चन्द्रमा प्रसाद सिंह	ग्रा0 करेहा, करछना, इलाहाबाद	उपाध्यक्ष	समाज सेवा
3.	श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री छोटेलाल सिंह	ग्रा0 व पो0 सोनाई करछना, इलाहाबाद	प्रबन्धक / मंत्री	अधिवक्ता
4.	श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 गुलाब सिह	ग्रा0 घटवा, करछना, इलाहाबाद	उपप्रबन्धक	अधिवक्ता
5.	श्रीमती सीमा सिंह पत्नी श्री ब्रजेश सिंह	ग्रा0 कटरी पो0 सहसों, इलाहाबाद	कोषाध्यक्ष	गृहिणी
6.	श्री महिपाल सिंह पुत्र स्व0 लालमनि सिह	विगहनी, विगहना, मेजा, इलाहाबाद	सदस्य	कृषि
7	श्री भानु प्रताप सिंह पुत्र स्व0 उमापति सिंह	विगहनी, विगहना, मेजा, इलाहाबाद	सदस्य	समाज सेवा

सरिता सिंह अमर सिंह ज्ञान सिंह वीरेन्द्र सिंह सीमा सिंह
महिपाल सिंह भानु प्रताप सिंह

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद

30/05/2018